

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 32/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 27.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- मेंहनगर: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 21.01.25 को वादिनी द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 20/01/25 को सायं 3 बजे बड़ी बहन के बुलाने पर उसके इण्टर कालेज जयनगर समय से पहले पहुँच गयी अन्दर पढ़ायी चल रही थी, 02 बाल अपचारी द्वारा स्कूल के पीछे पुराने हास्पिटल मे ले जाकर छेड़खानी की गयी, शोर करने पर उपरोक्त लोग भाग गया तथा मेरा वीडियो वायरल कर दिये मेरी उम्र 14 वर्ष है। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 31/2025 धारा 74 BNS & 7/8 POCSO ACT & 67a I.T. ACT थाना मेंहनगर आजमगढ़ बनाम 02 नामजद बाल अपचारी व अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

दिनांक 27.01.25 को निरीक्षक अनुराग कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी को समय 13.00 बजे बाल अपचारी के घर से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

02.थाना बिलरियागंज: महिला के साथ छेड़खानी में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 25.12.2024 को वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षीय संजय पासवान पुत्र फौजदार पासवान व सूरज पासवान पुत्र फौजदार पासवान नि0गण तेन्दुआ थाना बिलरियागंज आजमगढ़ के द्वारा वादिनी के दरवाजे पर चढकर पूर्व मे वादिनी द्वारा लिखवाये गये मुकदमे को उठाने की बात को लेकर विपक्षीय द्वारा घर में घुसकर माँ -बहन की भद्दी- भद्दी गाली- गुप्ता देते हुए मारना पीटना व छेड़खानी करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 441/24 धारा मु0अ0सं0 441/2024 धारा 74,76,115(2),352,351(2),333 बी0एन0एस0 बनाम 1. संजय पासवान पुत्र फौजदार पासवान 2. सूरज पासवान पुत्र फौजदार पासवान नि0गण तेन्दुआ थाना बिलरियागंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। तथा नामित अभियुक्त सूरज पासवान पुत्र फौजदार पासवान निवासी तेन्दुआ थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 27.01.2025 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 27.01.2025 को उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज पासवान पुत्र फौजदार पासवान निवासी तेन्दुआ थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को समय करीब 10.25 बजे अन्तर्गत धारा धारा 74,76,115(2),352,351(2),333 बी0एन0एस0 में कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम पता -

1.सूरज पासवान पुत्र फौजदार पासवान नि0 तेन्दुआ थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 441/2024 धारा 74,76,115(2),352,351(2),333 बी0एन0एस0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 363/24 धारा 3(5)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 369/2024 धारा 3(5)/115(2)/131/351(2)/352 बीएनएस थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

